संख्या :279/ix/75/2007

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्रांट,
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनुभाग–2 देहरादून 17 जून 2008

विषयः वित्तीय बर्ष 2008–09 में नागरिक उडडयन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 207/ 01(छः) /बजट/2008–09 दिनांक 26–05–08 तथा शासनादेश–208/ix/75/2008–09 दिनांक 21–04–08 एवं शासनादेश संख्या–208A/ix/75/2008–09 दिनांक 25–04–08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय बर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में नागरिक उडडयन के शीर्षक–03–प्रशिक्षण तथा शिक्षा के अंतर्गत मद संख्या–42 अन्य व्यय में रू0 5,00,000/–(रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षग अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।
3. इस संबंध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली 2008 और मितव्ययिता के नियमो में समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जायेगा।
4. जो देयक प्रीआडिट मे आ गये है उनकी प्रीआडिट वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के भाग एक के नियम 74 के अनुसार पूर्व सम्परीक्षा करके ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के केवल लम्बित देयताओं का ही भुगतान किया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–24 के 'आयोजनेत्तर पक्ष' के लेखाशीर्षक "3053–नागर विमानन–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03–नागरिक उड्डयन– 00–आयोजनेत्तर–17–किराया, उपशुल्क एवं स्वामित्व के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न प्रपत्र बी.एम.–15 के स्तम्भ–1 की बचतों से किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 607/XXVII(2)/2008 दिनांक 12 जून , 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : प्रपत्र बी.एम.–15।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 279/ix/75/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।।
6. बजट राजकोषीय संशाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आहरण एवं नितरण अधिकारी, नागरिक उडडयन विभाग, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिषर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

प्रपत्र – बी.एम. – 15
(पैरा – 158)

नियन्त्रक अधिकारी – प्रमुख सचिव, नागरिक, उडडयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2008–09
प्रशासनिक विभाग – निदेशक,नागरिक उडडयन,
अनुदान संख्या – 24
(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कॉलम 1 में अवशेष)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
3053–नागर विमानन 80–सामान्य 00–आयोजनेत्तर 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उडडयन 42–अन्य व्यय 3,00,00	2,79	2,92,51	500 (क)	अनुदान संख्या–24–आयोजनेत्तर 3053–नागर विमानन 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उडडयन 00–आयोजनेत्तर 17– किराया उपशुल्क एवं स्वामित्व– 500 (ख)	550	2,95,00	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) बजट प्राविधान में अधिक आवश्यकता होने के कारण तथा पायलटों के किराये से सम्बन्धित देयको के भुगतान हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता पडने से ।
योग 3,00,00	2,79	2,92,51	500	500	550	2,95,00	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–2
संख्या– 607A/XXVII(2)/2007
देहरादून : 12 जून 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।

संख्या– 279 /ix/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निदेशक, नागरिक, उडडयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग –2।

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।